न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, हरदोई।

सत्र परीक्षण सं0–302/17

राज्य.....बनाम.....जोगेन्द्र आदि।

दिनांकः 08.02.18

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जोगेन्द्र आदि की ओर से प्रार्थनापत्र 6ब वास्ते किए जाने डिस्चार्ज इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने उक्त घटना की रिपोर्ट 12.05.17 को 19.30 बजे लिखाई जबकि उक्त मुकदमे के वादी रोहित कुमार ने पुलिस की सलाह मशविरा से विधिक राय से क्रास केस से बचने हेतु प्रार्थी आदि के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दूसरे दिन 13.05.17 को काफी विलंब से लिखाई जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष ने नहीं दिया है। उक्त मुकदमे के विवेचक को इस बाबत गांव के मौके पर मौजूद निष्पक्ष लोगों ने अपने–अपने शपथपत्र भी दिए तथा अपने बयान भी विवेचक को दिए, लेकिन उक्त मुकदमे के विवेचक ने सही विवेचना न करके वादी से साजिश कर प्रार्थी के विरोधियों के झूठे बयान अंकित किए तथा निष्पक्ष साक्षियों के शपथपत्र भी पत्रावली पर संलग्न नहीं किए और न ही निष्पक्ष साक्षियों के बयान केस डायरी में दर्ज किए। उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सी रिपोर्ट, शव विच्छेदन रिपोर्ट, नक्शा नजरी तथा केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी लालबाबू द्वारा लिखाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट, लालबाबू की इन्जरी रिपोर्ट व सुशील यादव की शव विच्छेदन रिपोर्ट क्रास केस के आरोपपत्र की छायाप्रतियां साथ में संलग्न हैं। न्यायहित में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थीगण को उक्त मुकदमे से डिस्चार्ज (उन्मुक्त) किया जाना विधि संगत है। अतः प्रार्थीगण को डिस्चार्ज करने की याचना की गयी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की और से उक्त प्रार्थनापत्र घोर विरोध का अंकन किया गया है और कथन किया गया है कि सभी गवाहों ने अपने बयान 161 दं0प्र0सं0 में घटना का समर्थन किया है तथा बाद विवेचना, विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.05.17 को अंकित करायी गयी है। केस डायरी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सभी गवाहों ने धारा 161 दं0प्र0सं0 में घटना का समर्थन किया है और उसके उपरांत विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत प्रस्तुत मामले में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वादी रोहित कुमार ने पुलिस की सलाह मशविरा से विधिक राय से क्रास केस से बचने हेतु प्रार्थी आदि के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दूसरे

दिन 13.05.17 को काफी विलंब से लिखाई जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष ने नहीं दिया है, किन्तु इस तथ्य को विचारण के समय देखा जाना है। प्रार्थीगण का अपने प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उक्त मुकदमे के विवेचक को इस बाबत गांव के मौके पर मौजूद निष्पक्ष लोगो ने अपने–अपने शपथपत्र भी दिए तथा अपने बयान भी विवेचक को दिए लेकिन उक्त मुकदमे के विवेचक ने सही विवेचना न करके वादी से साजिश कर प्रार्थी के विरोधियों के झूठे बयान अंकित किए तथा निष्पक्ष साक्षियों के शपथपत्र भी पत्रावली पर संलग्न नहीं किए और न ही निष्पक्ष साक्षियों के बयान केस डायरी में दर्ज किए, किन्तु इन सब तथ्यों पर प्रार्थीगण अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में यह भी कथन किया है कि उक्त मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सीय रिपोर्ट, शव विच्छेदन रिपोर्ट, नक्शा नजरी तथा केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है, किन्तु यह तथ्य साक्ष्य के उपरांत ही तय होना है। आरोप के स्तर पर प्रथम दृष्टया केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य ही देखा जाना है। औपचारिक साक्षियों के बयानों व अभिलेखीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध साबित होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को डिस्चार्ज किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जोगेन्द्र आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 06 ब वास्ते डिस्चार्ज किए जाने निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते विरचित किए जाने आरोप लंच बाद पेश हो।

(राजेश कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0
हरदोई।